

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
(समन्वय प्रकोष्ठ)

फा.सं.35-2/2018-समन्वय प्रकोष्ठ-स्था.-I

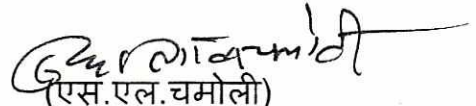
दिनांक: 06.01.2019

परिपत्र

विषय: Bilingual execution of agreements, treaties etc. with domestic/foreign government offices/undertakings/companies etc. by Government offices -reg.,

कृपया उपर्युक्त विषयक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त दिनांक 11.12.2019 के पत्र सं. V-16020/314/2019-INI-I की प्रति के साथ संलग्नित O.M. No. 12019/01/2019-Ra. Bha. (Shikha)/Nikshepit-6 दिनांकित 21.11.2019 एतद्वारा, सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है।

संलग्नक अधोपरि।


(एस.एल.चमोली)
प्रशासनिक अधिकारी

वितरण:

- (1) सभी केन्द्र प्रमुखगण।
- (2) सभी विभागाध्यक्षगण।
- (3) सभी भण्डार अधिकारीगण
- (4) सभी प्रशासन अधिकारीगण।

प्रतिलिपि:

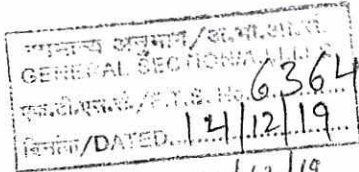
- निदेशक महोदय के प्रधान निजी सचिव।
- उप-निदेशक (प्रशासन) महोदय के निजी सचिव।
- उप-सचिव महोदय के वैयक्तिक सहायक।
- वरिष्ठ हिंदी अधिकारी
- कंप्यूटर सुविधा- कृपया इसे एम्स की वेबसाइट पर अपलोड कराने तथा ई-मेल द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजने की कृपा करें।



श्री/सज्जम गुप्ता जी/ श्री सुजीव
20/1/20
श्री/सज्जम गुप्ता जी/ श्री सुजीव
07/01/2020

DNb 709
Date 18/12/2019

File No.V-16020/314/2019-INI-I



V-16020/314/2019-INI-I

Govt. of India

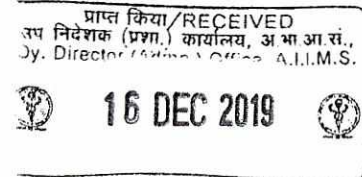
Ministry of Health and Family Welfare
(INI-I Section)



Nirman Bhawan, New Delhi
Dated 11th December, 2019

To,

The Director,
AIIMS,
Ansari Nagar,
New Delhi-29



Subject:-Bilingual execution of agreements, treaties etc. with domestic/foreign government offices/undertakings/ companies etc by Government offices-reg.

Sir,

I am directed to forward herewith a copy of OM No. 12019/01/2019-Ra. Bha. (Shika.)/Nikshepit-6 dated 21.11.2019 of Official Languages Department alongwith its enclosures with request to furnish the requisite information to the Official Languages Department alongwith the petitioner.

Yours faithfully,

Digitally signed by SUNITA
DHAUNDIYAL
Date:Wed Dec 11 16:26:48 IST 2019
Reason:Approved

(Sunita Dhaundiyal)

Under Secretary to the Govt. of India

Tel: -23061843

Encl:-As above

SD(A)
16/12
D/12/19
17/12
S/AO
pl. sd.
12/12/2019
A. D. Wadhwa
18/12/19
On Permeant

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग



एनडीसीसी-॥ भवन, बी. विंग, चौथा तल
जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक २ नवम्बर, 2019

कार्यालय जापन

विषय: सरकारी कार्यालयों द्वारा देशी/ विदेशी सरकारों, कार्यालयों/ उपक्रमों/ कम्पनियों आदि के साथ समझौता, करार, संधियां आदि द्विभाषी निष्पादित की जाना ।

कृपया उपर्युक्त विषय पर श्री अतुल कोठारी, सचिव, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, नई दिल्ली के दिनांक 31.10.2019 के पत्र क्रमांक- शि.सं.उ.न्यास/के.स./12/2019-20 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करें । इस पत्र में बताया गया है कि आपके मंत्रालय/कार्यालय द्वारा जो करार/संधि/समझौता आदि किए गए हैं, वे किस भाषा में किए गए हैं, यह स्पष्ट नहीं है ।

2. राजभाषा विभाग के 09.06.1998 के कार्यालय जापन सं. 1/15016/4/97-रा.भा.(नौ.-1) (प्रति संलग्न) के अनुसार द्विपक्षीय समझौते द्विभाषी (हिंदी-अंग्रेजी) में तैयार किए जाने व हस्ताक्षरित किए जाने आवश्यक हैं । तदनुसार अनुरोध है कि अपने मंत्रालय/कार्यालय में इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करवाएं । इसके अतिरिक्त, श्री अतुल कोठारी के पत्र में मांगी गई जानकारी राजभाषा विभाग एवं श्री अतुल कोठारी को शीघ्र उपलब्ध करवा दें ।

(मोहन लाल वाधवानी)
निदेशक (अनु./शिका.)

1. संयुक्त सचिव (गर्भाधार), उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
2. संयुक्त सचिव (प्रशा.), जनजातीय कार्य मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
3. महापौर, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी नागरिक सुविधा केन्द्र, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली -110002
4. रक्षा सचिव, रक्षा मंत्रालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
5. संयुक्त सचिव (प्रशासन), स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
6. संयुक्त सचिव (प्रशासन), विदेश मंत्रालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली

प्रति,

श्री अतुल कोठारी, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, सरस्वती बाल मंदिर जी ब्लॉक, नारायणा विहार, नई दिल्ली- 110028

विभाग यह निर्देश भी दे चुका है कि विभिन्न मंत्रालयों द्वारा आयोजित सभी समारोहों और बैठकों में सभी साइन बोर्डों आदि पर दोनों भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए। इन निर्देशों के बावजूद यदा कदा ऐसा देखने में आता है कि इनका पालन पूरी तौर पर नहीं हो रहा है। सभी मंत्रालयों/विभागों से पुनः अनुरोध किया जाता है कि वे इस बात का ध्यान रखें कि राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय महोत्सवों, समारोहों आदि में बैनर, नामपट्ट, सूचना पट्ट, साहित्य, परिपत्र, बैजों आदि में हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाए।

कां.ज्ञा.सं. 1/15016/4/97-रा.भा. (नं० 1), दिनांक 9.6.1998

विषय: अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/समारोहों में राजभाषा हिंदी का प्रयोग।

संदर्भ: (1) कां.ज्ञा.सं. 1/14034/7/79-रा.भा. (क-1), दिनांक 27.7.1979

(2) कां.ज्ञा.सं. 1/14034/6/85-रा.भा. (क-1), दिनांक 28.1.1986

(3) कां.ज्ञा.सं. 1/2024/6/87-रा.भा. (ख-2), दिनांक 20.4.1987

(4) कां.ज्ञा.सं. 1/14013/8/94-रा.भा. (क-1), दिनांक 24.5.1994

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/समारोहों आदि में राजभाषा हिंदी के प्रयोग के संबंध में सरकार द्वारा विगत में समय-समय पर उपर्युक्त संदर्भों के माध्यम से निर्देश जारी किए गए हैं।

2. पुराने निर्देशों की पुनरीक्षा संबंधी मामला कुछ समय से सरकार के विचाराधीन था। समुचित विचार विमर्श के पश्चात् अब यह निर्णय लिया गया है कि इस बारे में जारी सभी पुराने निर्देशों का अधिक्रमण करते हुए इस विषय पर नए व्यापक मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए जाएं।

3. अतः अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि विभाग द्वारा उपर्युक्त वर्णित पुराने संदर्भों को तत्काल प्रभाव से वापिस लिया जाता है और नए मार्गदर्शी सिद्धांतों का निम्नलिखित पैराओं के अनुसार पालन किया जाए:—

(i) संयुक्त राष्ट्र निकायों तथा इससे सम्बद्ध निकायों द्वारा आयोजित किए जाने वाले सम्मेलन/बैठकें: भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता द्वारा अपना भाषण/उद्बोधन द्विभाषी भाषण (हिंदी-अंग्रेजी) रूप में परिचालित करवाया जाएगा और अगर वे हिंदी जानते हैं तो अपना भाषण/उद्बोधन, हिंदी में देंगे, इस शर्त के साथ कि दुभाषिए की सेवाएं, मांग के अनुसार उपलब्ध कराई गई हैं।

(ii) औपचारिक रूप से विश्वव्यापी अथवा क्षेत्रीय संगठनों द्वारा आयोजित सम्मेलन/बैठक: अगर सम्मेलन/बैठक भारत में आयोजित होते हैं तथा भारत सरकार इसकी मेजबानी करती है तो उपर्युक्त पैरा 3(1) में वर्णित उपायों के अतिरिक्त बैनरों, बैजों, नामपट्टों सूचनापट्टों आदि में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग सुनिश्चित किया जाए।

अगर इस संबंध में कोई औपचारिक तथा विधिक प्रतिबंध नहीं है तो साहित्य, परिपत्र, कार्यसूची, कार्यवृत्त, प्रेसनोट आदि भी द्विभाषी (हिंदी-अंग्रेजी) रूप में होने चाहिए।

(iii) अंतर्राष्ट्रीय संघों/संगठनों तथा निकायों जिनमें भारत एक भाग लेने वाला सदस्य है, द्वारा आयोजित की जाने वाली सम्मेलन/बैठकें: भारतीय प्रतिनिधि-मंडल के नेता द्वारा अपना भाषण/उद्बोधन द्विभाषी (हिंदी-अंग्रेजी) रूप में परिचालित करवाया जाएगा तथा अगर वे हिंदी जानते हैं तो अपना भाषण/उद्बोधन हिंदी में देंगे। इस शर्त के साथ कि द्विभाषिए की सेवाएं मांग के अनुसार उपलब्ध कराई गई हैं।

अगर सम्मेलन/बैठक भारत में आयोजित होते हैं तथा भारत सरकार इनकी मेजबानी करती है तो बैनरों, बैजों, नामपट्टों तथा सूचनापट्टों आदि में हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग सुनिश्चित किया जाए।

अगर इस संबंध में कोई औपचारिक तथा विधिक प्रतिबंध नहीं है तो साहित्य, परिपत्र, कार्यसूची, कार्यवृत्त, प्रेसनोट आदि भी द्विभाषी (हिंदी-अंग्रेजी) रूप में होने चाहिए।

(iv) दूसरे देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकें/चर्चा/समझौते आदि: उपर्युक्त पैरा 3(1) तथा 3(2) में वर्णित निर्देशों का, जहां तक लागू हों, पालन किया जाए। इसके अतिरिक्त द्विपक्षीय समझौते, द्विभाषी (हिंदी-अंग्रेजी) रूप में तैयार किए जाएं व हस्ताक्षरित किए जाएं।

4. भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य जहां तक व्यावहारिक हों, अपने साथियों तथा समकक्ष सहयोगियों के साथ ऐसे मौकों पर वातचीत में हिंदी का प्रयोग करें।

5. भारत द्वारा आयोजित सम्मेलनों/बैठकों के दौरान हुए पत्रकार सम्मेलन में संबोधन हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हों।

6. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से यह अनुरोध है कि उपर्युक्त वर्णित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार सभी आवश्यक सचिवालयीय सहायता प्रदान की जाए तथा अनुवादकों, दुभाषियों आदि की व्यवस्था की जाए।

7. कृपया इस कार्यालय ज्ञापन की पावती भेजें।



शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास

सरस्वती बाल मंदिर, जी ब्लॉक, नारायणा विहार, नई दिल्ली-110028

☎ 011-25898023, 65794966, 9811126445, 9868100445

Website: www. bharatiyashiksha.com, Email: atulssun@gmail.com

पत्र क्रमांक शि.सं.उ.न्यास / 12/ 2019-20

दिनांक:-31.10.2019

सेवा में,

सचिव

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय
एन.डी.सी.सी. भवन-2, तीसरी मंजिल
जय सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110001

विषय:- सरकारी कार्यालयों द्वारा देशी / विदेशी सरकारी कार्यालयों / उपक्रमों / कम्पनियों आदि के साथ समझौता, करार, संधियां आदि द्विभाषी निष्पादित की जाना।

संदर्भ:- राजभाषा विभाग का का0ज्ञा0 सं0 1/15016/4/97- रा.भा.(नी. I) दि0 9.6.1998

महोदय,

हम आपके ध्यान में लाना चाहते हैं कि निम्नलिखित कार्यालयों / मंत्रालयों आदि द्वारा करार / संधियां / समझौते आदि किए गए हैं, किंतु यह नहीं बताया गया है कि ये किस भाषा में किए गए हैं—

क्र0सं0	विषय/विवरण	समाचार पत्र
1.	जेएनयू व आईआईटी, दिल्ली के बीच करार।	रा. सहारा दि. 27.09.2019
2.	चाणक्य आईएस अकादमी और आदिवासी अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान दिल्ली के बीच समझौता।	रा. सहारा दि. 25.09.2019
3.	डीआरडीओ ने घरेलू कंपनियों के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के 30 समझौते पर किए हस्ताक्षर।	रा. सहारा दि. 19.10.2019
4.	द. दिल्ली नगर निगम ने सुविधाओं को हार्डटेक बनाने को इन्द्रप्रस्थ इन्स्टीट्यूट ऑफ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी, दिल्ली (आईआईआईटीडी) से किया करार।	रा. सहारा दि. 16.10.2019
5.	प्रोजेक्ट मेट के लिए एम्स व एए आई में करार।	रा. सहारा दि. 21.10.2019
6.	मोदी-हसीना मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच हुए सात समझौते।	रा. सहारा दि. 8.10.2019

सचिव (राजभाषा) कार्यालय
सं.सं. 1604179/2019/CRU दि. 31/10/19

494/अ/अ
31/10/19

निदेशिका

11/10/19
मि.

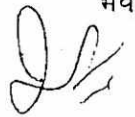
1604179/2019/CRU

जैसा कि विदित है कि राजभाषा विभाग के संदर्भित का0ज्ञा0 के अनुसार, विभिन्न सरकारी कार्यालयों, विभागों, उपक्रमों, निगमों आदि द्वारा किए जाने वाले समझौते, करार, संधियां आदि द्विभाषी रूप (हिन्दी व अंग्रेजी) में, तथा विदेशों के साथ त्रिभाषी रूप में निष्पादित किए जाने चाहिए, किंतु राष्ट्रीय सहारा के उक्त समाचारों से स्पष्ट नहीं होता है कि ये किस भाषा में निष्पादित किए गए। अतः हम आपके माध्यम से यह जानना चाहते हैं कि उपरोक्त समझौते / करार, आदि क्या द्विभाषी रूप (हिन्दी—अंग्रेजी में) / त्रिभाषी किए गए ? यदि नहीं, तो इसके लिए उत्तरदायी (हस्ताक्षरकर्ता) अधिकारी के विरुद्ध यथोचित कार्रवाई की जाए, साथ ही सम्बंधित कार्यालयों के प्रशासनिक प्रधानों को निर्देश दिए जाएं कि भविष्य में समाचार देते समय, करार / समझौते आदि की भाषा, जिसमें वे किए गए, का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया करें।

कृपया, इस सम्बंध में की गई कार्रवाई / वस्तुस्थिति से न्यास को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न:6 कतरन

भवदीय



(अतुल कोठारी)
सचिव

प्रोजेक्ट मेट के लिए एम्स व एएआई में करार

21-10-19

■ ज्ञानप्रकाश

नई दिल्ली। एसएनबी

विभिन्न सरकारी और निजी स्कूलों के छठी से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास एवं उद्भव के साथ ही उन्हें व्यसन से बचाव, मानसिक दिक्कतों और शिक्षण के दौरान आने वाली दिक्कतों को दूर करने में अब एम्स के वैज्ञानिक मॉडल तैयार कर रहे हैं। माइंड एक्टिवेशन थ्रू एजुकेशन (मेट) नामक इस कार्यक्रम में एम्स के अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई), मानव व्यवहार एवं संबंध विज्ञान संस्थान (इहवास) के वैज्ञानिकों की भी मदद ली जाएगी। इस मुद्दे पर एम्स और एएआई के साथ एक करार किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में 20 स्कूलों को के लिए चुना गया है। जिसमें 10 हजार से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है।

उद्देश्य वार्ता : एम्स के निदेशक डा: गुलेरिया के अनुसार देश की राजधानी में बढ़ रही अपराधिक घटनाओं और

माता पिता के प्रति किशोरों के दूर के बढ़ रहे दायरों को दूर करने के मेट जरूरी है। कुछ विकसित देशों में इस तरह की योजनाएं लाभकारी साबित हुई हैं। इसमें केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, एनसीआरटी के विशेषज्ञों को सदस्य के रूप में परामर्श के लिए शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। एएआई के सदस्य ए. के. पाठक के अनुसार इस प्रोजेक्ट के सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। जिसे बाद में देशव्यापी स्तर पर इस माइल पर तैयार कर लागू करने का प्रस्ताव दिया जाएगा। स्कूलों में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की मानसिक क्षमताओं को जानने की

कोशिश होगी। बच्चों को तनाव से दूर रहने में मदद की जाएगी। इस प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली के 20 स्कूलों को शामिल किया गया है। कक्षा छठी से लेकर 12वीं तक के बच्चों की काउंसलिंग भी होगी। छात्रों के लिए सभी स्कूलों में पांच वर्कशॉप आयोजित होंगी। इसमें एक वर्कशॉप में छात्रों के परिजनों को भी बुलाया जाएगा। इस पायलट प्रोजेक्ट का खर्च एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वहन करेगी। इसमें कई तरह के गतिविधियां भी की जाएंगी।

वार्ता • का सुपटेगा भविष्य

: एम्स के वरिष्ठ मनोचिकित्सक डा. नंद कुमार ने बताया कि स्कूलों में बच्चों की बेहदारी के लिए यह प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है। इससे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर किया जाएगा। उन्हें व्यवहार कुशल बनाने का प्रयास होगा। बच्चों का माता-पिता व शिक्षकों के व्यवहार के बीच अच्छा सुतलन

मानसिक, बौद्धिक क्षमता के आकलन में लाने की है प्रक्रिया

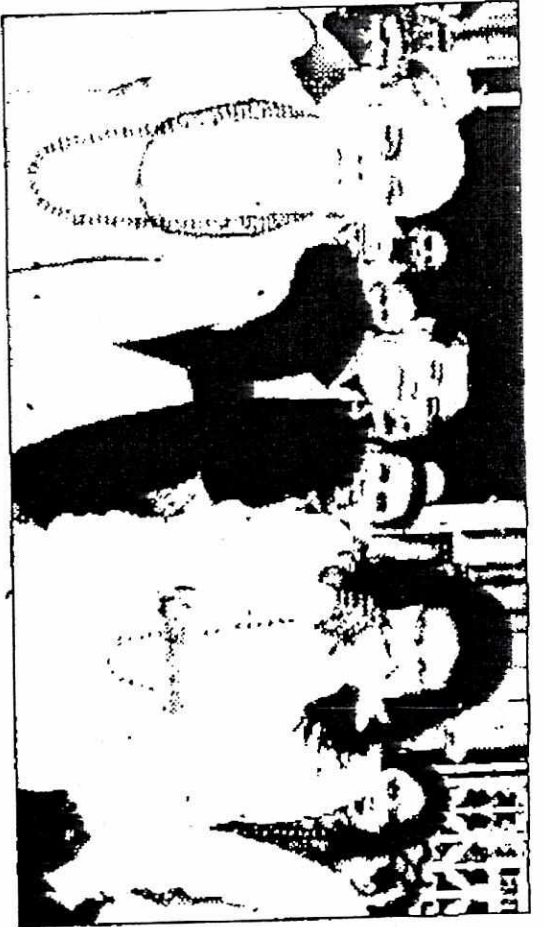
छठों से 12वीं तक 10 हजार विद्यार्थियों तक पहुंचने का है लक्ष्य

स्थापित करने पर काम किया जाएगा। बच्चों की मानसिक क्षमताओं को जानने की

यह भी : आज स्कूलों में बच्चों पर पढ़ाई व दूसरी गतिविधियों का काफी दबाव रहता है। जिसके लिए बच्चों को मानसिक तौर पर स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की बेहदारी के लिए मेट कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। इस कार्यक्रम की हर वर्ष समीक्षा होगी। जिससे यह पता किया जा सकेगा कि यह कितना कारगर साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल अभियान को इससे जोड़ेंगे।

gyaanrs2007@gmail.com

छोटे पर्दे के कार्यक्रम



बजे 07:00 रात :: 1-फिल्म

फिल्म : 'ओह माई गॉड'

डोडो-1

07.00 सिने संगीत,
08.00 फोर्ट प्लस,
08.30 नयी टुपि नयी रात, 09.00 एक मुलाकात,
09.30 चित्राहार, 10.00 दिल है फिर भी हिंदुस्तानी,
10.30 ना हैसला हारो हम, 11.00 वादन पते, 11.30
मे कुछ भी कर सकती हूं, 12.00 कश्मकश जिंदगी की,
12.30 नरगिस, 01.00 छाया के दरमियान, 01.30
जिंदगी एक संवर, 02.00 विन विटिया स्वर्ण अयूर,
02.30 लकीरें किस्मत की, 03.00 श्रीकांत, 03.30 यहां
के हम सिकंदर, 04.00 वातें फिल्मों की, 04.30 डीडीके
दिल्ली, 05.00 डोडो साइंस, 06.00 अरोग्य भारत,
07.00 हिंदी फीचर फिल्म, 09.30 कभी सस कभी वह,
10.00 वातें फिल्मों की, 10.30 ये हैवाये, 11.30
चित्राहार, 12.00 कश्मकश जिंदगी की।

करिश्मा, 11.00 जय जय जय वज्रगदली, 11.30 डोली
सजा के, 12.00 हिंदी फीचर फिल्म, 03.00 हिंदी फीचर
फिल्म।

जी टीवी

07.00 जमाई राजा,
08.00 काला टीका,
09.00 कुम्कुम भाग्य, 09.30 सरोजिनी, 10.00 एक था
राजा एक थी रानी, 10.30 जमाई राजा 11.00 ये वादा
रहा, 11.30 काला टीका, 12.00 सरोजिनी, 12.30
कुम्कुम भाग्य, 01.00 एक था राजा एक थी रानी, 01.30
काला टीका, 02.00 टशन-प-इश्क, 02.30 ये वादा रहा,
03.00 कुम्कुम भाग्य, 03.30 मनमोहिनी, 04.00 इश्क
सुहान अल्ला, 04.30 आपके आ जाने से, 05.00 जोधा
अकबर, 06.00 गुड्डन तुमसे ना हो पायेगा, 06.30 राजा
वेदा, 07.00 ये तेरी गलियां, 07.30 मनमोहिनी, 08.00
गुड्डन तपसे ना हो पायेगा 08.30 तबसे है रात्ता, 09.00

टीवी की फिल्में

डीडी-1

07.00 सायं 'ओह माई गॉड'।

जी सिनेमा

08.05 प्रातः 'हे बेबी', 11.10
पूर्वा 'ऑनियस', 02.30 अप.
'दिल', 06.15 सायं 'रिटर्न
ऑफ चंद्रमुखी', 09.00 रात
'हुश ली', 11.50 रात 'श्रीवा
द सुपर हीरो'।

स्टार गोल्ड

05.35 प्रातः 'सरदारजी-2',
08.35 प्रातः 'जुमनजी',
11.10 पूर्वा 'हीरो नं.1',
01.30 अप. 'रेडो', 04.40
अप. 'धुवां', 07.55 रात 'जय
हो', 11.00 रात 'मेरी ताकत
मेरा कैमला'।

जी क्लासिक

06.15 प्रातः 'बल में काला',
08.25 प्रातः 'बेवफाई',
10.50 प्रातः 'शर्मिली',
01.35 अप. 'पड़ोसन',
04.10 अप. 'तौसरी मौजिल',
07.00 रात 'अंजली', 09.45
रात 'विद्याता'।

बोम्बे

07.30 प्रातः 'इतेहा', 12.00,
अप. 'जुआरी', 03.00 अप.
'मुक्ताबाज', 06.00 सायं
'चायना गेट', 09.00 रात '16

वाजेवाला, 01.30 कसौटी जिंदगी की,
कहां तुम, 02.30 नजर, 03.00 दिल
प्यार का दर्द है मोटा भीटा प्यार का
मोहब्बतें, 06.00 कसौटी जिंदगी की,
सर्वगुण सम्पन्न, 07.30 दिल तो है प्य
कसौटी जिंदगी की, 08.30 फुलफी
09.00 कहां हम कहां तुम, 09.3
कहलाता है, 10.00 ये रिश्ते हैं प्यार
मोहब्बतें, 11.00 नजर 11.30 कसौटी

टैटल एंड सिटिंग

07
08
डिजाइन, 08.30 कर्वो ब्राइड, 09.
10.30 रैकल एलन आल थिंग्स स्वी
रनवे, 01.00 केक वॉस, 02.00 अर
05.00 ब्राइड वॉई डिजाइन, 05.30 क
केक वॉस।

डिस्कवरी

0
ड्युअल सरवाइवल, 08.00 मैं नुं
मैन वर्सेस वाइल्ड, 10.00 यू हैव
रिवर मॉन्स्टर्स, 12.00 मैं वर्से
अमरीकन डिपर, 02.30 ब्रेव वाइल
फैक्ट्री, 04.00 ड्युअल सरवा
ऑरिस्टन्स, 06.00 विवर ग्रैन्स
07.30 ब्रेव वाइल्डनेस, 08.0
11.00 नेकड एंड अफ्रेड।

एनएल एनएल

आन द वाइल्डवेस्ट, 02.00,
विम्पानी, 08.00 टैक : स्प